न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

न्यायालय वाद संख्या सी0आर0एम0 -20/2011-12

कमल राम बनाम सरकार

Annexure-14

आदेश

Sl. no of Order and Date	Order and officer Signature	Action taken on order and date
28.10.2013	यह अपील कमल राम वल्द स्व0 सहदेव राम, ग्राम- मठिया, लौरिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 के उस आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता के ज0वि0प0 के अनुज्ञप्ति संख्या 8/90 को रद्द कर दिया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मंत्रीमंडल (नि0) विभाग के निगरानी अन्वेषण की टीम द्वारा जून 1997 से फरवरी 2002 तक लाल कार्डधारियों में खाद्यान्न उठाव की मात्रा, राशन कार्ड में प्रविष्टि की गणना एवं मिलान के जाँच के क्रम में पाया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा पंचायत मठिया, प्रखंड- लौरिया द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न का एक तिहाई भाग ही लाभुकों के बीच वितरण कर शेष दो तिहाई भाग खाद्यान्न को लाल कार्ड पर फर्जी एवं झुठी प्रविष्टि कर कालाबाजारी कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकरण की मॉग की गई लेकिन उनके द्वारा तथ्य प्रारूप एवं संतोषजनक साक्ष्य समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोप सत्य पाकर उनकी अनुज्ञप्ति संख्या 8/90 को रद्द कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दायर की गई जिसका CWJC संख्या-7348/06 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2007 को आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्त्ता के दावे पर विचार करने हेतु वाद को रिमांड कर दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि उनके कारण पृच्छा पर पुनः विचार करते हुए उन्हे सुनवाई हेतु अवसर दिया जाय। माननीय उच्च न्यायलय के उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्त्ता के पूर्व में पाई गई अनियमितता के संबंध में दिनांक 09.05.2007 को ठोस प्रमाण के साथ स्पष्टीकरण की मॉग की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि विक्रेता (अपीलकर्त्ता)	

स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये परन्तु साक्ष्य के रूप में कोई कागजात दाखिल नहीं किया। अपीलकर्त्ता द्वारा उन्हे वताया गया कि वर्त्तमान में उनके पास न भंडार पंजी उपलब्ध है न वितरण पंजी उपलब्ध है। इस परिस्थिति में विक्रेता पर पूर्व में लगाये आरोप को सही पाते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने संबंधी आवेदन को अस्वीकार करते हुए अनुज्ञप्ति को दिनांक 22.05.2007 को रद्द कर दिया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा अपील में निम्नांकित तर्क दिया गया है :-

1. मंत्रीमंडल निगरानी विभाग, पटना द्वारा वर्ष 2003 में जॉच की गई एवं इस जनवितरण दुकान से संबंधित लाभुकों से सर्म्पक किया गया एवं सत्यापन किया गया कि जून 1997 से फरवरी 2002 तक विक्रेता द्वारा लाभुकों को सही तरीका से आपूर्त्ति नहीं की गई है। लाभूकों को मात्र एक तिहाई ही अनाज की आपूर्त्ति की गई है एवं शेष दो तिहाई अनाज को खुले वाजार में वेच दिया गया है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि लाभुकों का न तो पूरा पता एवं नाम दिया गया है और उनके समक्ष जॉच भी नहीं की गई है।
2. अपीलकर्त्ता का कहना है कि किसी भी विक्रेता द्वारा छः वर्ष बाद यह वताना मुश्किल है कि कितनी बार उन्होने खाद्यान्न का उठाव किया एवं कितनी बार कार्ड धारकों ने अनाज का उठाव किया।
3. अपीलकर्त्ता का यह कहना है कि उनके ग्राम में 1998 मे आग लगी थी जिसमें उनके गॉव के सभी हरिजन का घर जल गये थे और अपीलकर्त्ता के राशन दूकान से संवंधित सभी कागजात जल गये थे।
4. अन्त में अपीलकर्त्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी बिना उन्हे सुनवाई हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये जॉच रिपोर्ट दिये एवं उनके कारण पृच्छा पर पूर्ण विचार किये ही आदेश पारित किया है जिसे रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होनें विक्रेता से जून-1997 से फरवरी-02 तक लाल कार्ड धारियों के वितरण हेतु उठाव किये गये खाद्यान्न की फर्जी प्रविष्टि कार्डो में उठाव किये गये खाद्यान्न का दो तिहाई भाग खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है के संबंध में ठोस प्रमाण के संबंध में

स्पष्टीकरण की मांग की गयी। साथ ही विक्रेता को प्रसंगाधीन अवधि का भंडार पंजी , वितरण पंजी, कैश मेमो के साथ स्वयं उपस्थित होने का निदेश दिया गया। आदेश में लिखित है कि विक्रेता स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये परंतु साक्ष्य के रूप में उन्होनें कोई कागजात दाखिल नही किया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि आवेदक द्वारा ठोस प्रमाण एवं साक्ष्य दाखिल नही किये जाने के कारण उन्हें दोष मुक्त करना न्यायोचित नही बताया गया है और इस आधार पर अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सही तरीके से नही की गयी है एवं यह भी उल्लेख नही किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा किन-किन कंडिकाओं का उल्लघंन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 को रद् करते हुए वाद को उन्हें इस निदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई एवं प्रमाण दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर देकर उनके उपर लगाये गये आरोपों के संबंध में आदेश पारित करें। निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

28/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।